पटना में दिनांक–10 दिसम्बर, 2019 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गन्ना उद्योग विभाग

1.	राज्य में कृषि आधारित उद्योगों में त्वरित गति से विकास लाने हेतु चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विकास हेतु प्रोत्साहन पैकेज–2014 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

2.	नेपाल हितकारी योजना–2009 गंडक परियोजना के तहत मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर के पुनर्स्थापन कार्य में सामग्री ढुलाई मद में 8. 9933624 करोड़ रूपये का अनियमित भुगतान करने एवं निम्न विशिष्टि का कार्य कराने संबंधी आरोपों के लिए श्री अजीत कुमार (आई०डी०–5190), तत्कालीन सहायक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर संप्रति सहायक अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर अवर प्रमंडल, तुलसीपुर को "सेवा से बर्खास्त" करने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

3.	"बिहार तकनीकी सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा–शर्त्त) विनियमावली, 2019" संबंधी प्रस्ताव एवं तत्संबंधी विनियमावली–प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

4.	"आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)" के अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अधीन रू० 183.60 लाख प्रतिवर्ष के अनुमानित व्यय पर अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति।,	4.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

5.	राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारम्भ करने हेतु तीन विषयों के लिए शैक्षणिक संवर्ग में प्राध्यापक के 3 (तीन) पदों के सृजन के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

6. इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में 1200 शैय्या के नये अस्पताल भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण तथा अन्य अनुसंगिक कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रू० 513,21,00,000/- (रूपये पाँच सौ तेरह करोड़ इक्कीस लाख) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति। — 6. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

7. बिहार जिला आयुष चिकित्सा/राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2019 के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

8. वाहनजनित प्रदूषण के नियंत्रण हेतु बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के नियम–163ख, 163 घ, 163 ङ, 163 छ में संशोधन/प्रतिस्थापन के साथ बिहार मोटरवाहन (संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन के संबंध में। — 8. **स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

9. विभागीय संकल्प संख्या–573(ई०), दिनांक–08.10.2012 एवं संकल्प संख्या–53(ई०) दिनांक–28.01.2016 को संशोधित करते हुए कृषि वानिकी योजना के क्रियान्वयन का प्रस्ताव। — 9. **स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

10. नयी अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य में स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं इनके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों को विश्वविद्यालय अंशदान की सीमा को 10 (दस) प्रतिशत से बढ़ाकर 14 (चौदह) प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान करने के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

11. बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 के नियम 16 में संशोधन करने की स्वीकृति के संबंध में। — 11. **स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

13. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत जिला समाहरणालय के नियंत्रणाधीन राज्य के 75 प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय हेतु 75 उच्चवर्गीय लिपिक एवं 75 निम्नवर्गीय लिपिक के पद सृजन के स्वीकृति के संबंध में। — **13. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

14. राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में दिनांक 01.09.2005 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कर्मियों हेतु नयी अंशदायी पेंशन योजना (NPS) को लागू करने संबंधी परिनियम प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **14. स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

15. बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अंतर्गत आशु सहायक अवर निरीक्षक के परीक्षा संबंधी प्रावधानों में संशोधन करने एवं अधिसूचना प्रारूप में स्वीकृति के संबंध में। — **15. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

17. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन विभिन्न कार्यालयों के लिए संविदा के आधार पर कार्यपालक सहायकों के कुल 806 सृजित पदों में से 56 पदों को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी मुख्यालय स्तर पर Floating पद के रूप में रखे जाने के संबंध में। — **17. स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

18. बाढ़ प्रभावित जिलों में आनुगहिक राहत उपलब्ध कराने हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से ₹250.00 करोड़ (दो सौ पचास करोड़ रूपये) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — **18. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

19. राज्य सरकार की गारन्टी पर बिहार स्टेट पॉवर (हो०) कं०लि० के दोनों वितरण कंपनियों यथा–नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० द्वारा ऊर्जा बकाया के मद में विभिन्न ऊर्जा प्रतिष्ठानों को भुगतान एवं मासिक ऊर्जा विपत्र की राशि के समतुल्य का साख–पत्र (Letter of Credit) स्थापन हेतु पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य विभिन्न बैंकों (Consortium Banks) से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि० को 450.00 करोड़ (चार सौ पचास करोड़) रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को 600.00 करोड़ (छः सौ करोड़) रूपये अर्थात कुल 1050.00 करोड़ (एक हजार पचास करोड़) रूपये कार्यशील पूँजी ऋण (working Capital Loan) प्राप्त करने की स्वीकृति एवं प्राप्त होने वाले ऋण तथा ऋण पर ब्याज का भुगतान दोनों वितरण कंपनियों द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

20. न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के द्वारा, सरकारी आवास की अनुपलब्धता की दशा में, मकान किराया पर की गई वास्तविक व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में। — **20. स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

21. माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण को मोबाईल फोन हैंड सेट क्रय की अधिसीमा में संशोधन के संबंध में। — **21. स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

22. माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के उपयोग हेतु वाहन क्रय की सुविधा में संशोधन के संबंध में। — **22. स्वीकृत।**